

HARIG CRANKSHAFTS LIMITED

CIN:- L35999UP1983PLC026603, Website:www.harigcrankshafts.com
Regdoffice:- C-49, Noida Phase-II, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201305
Email Id:-harig@harigcrankshafts.com; GSTIN: 09AAACH1275R2Z2, Phone no.-9818105480

To,
BSE Limited,
Floor 25, P.J. Towers, Dalal Street,
Mumbai 400 001

Date:24th December 2024

BSE Scrip Code: 500178

Subject: Submission of copy of Newspaper Advertisement of Corrigendum to the Notice of 1st (Post Completion of Corporate Insolvency Resolution Process) Annual General Meeting of the Company.

Dear Sir/Madam,

In compliance with the applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose the copy of newspaper publication of the Corrigendum to the Notice of 1st (Post Completion of Corporate Insolvency Resolution Process) Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Monday, 30 December 2024 at 12:00 PM. (IST) Great Value Sharanam Club GH - 02, Sector 107, Noida-201301, Uttar Pradesh, India.

Due to unforeseen and unavoidable circumstances meeting is now postponed to be held at **3:00 P.M.** on December 30,2024 at Great Value Sharanam Club GH - 02, Sector 107, Noida-201301, Uttar Pradesh, India. For further details, please refer to the newspaper publication as enclosed.

Kindly take this intimation in record in compliance with applicable statutory provisions.

Thanking You,

Yours sincerely,

For Harig Crankshafts Limited

Komal Agarwal
Company Secretary and Compliance Officer

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायर्नैस कम्पनी लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालय : चोला रोड, सी 54 एवं 55, सुपर बी-4, थिफ्ट वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्नी, चेन्नई-600032, भारत. **शाखा कार्यालय :** प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन प्लास रोड, करोल नगर, नई दिल्ली-110005

कब्जा सूचना नियम 8(1) के अधीन

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायर्नैस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, द्वितीय आदितीय का प्रतिनिधिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिक्रिया विना प्रदान अधिनियम, 2002 द्वारा आम अधिनियम कला गया है, के अधीन और प्रतिक्रिया विना प्रदान अधिनियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए मातृ सूचना(ए) का प्रमाण (डी) में दर्जित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जादार, पिन्के नाम कालन (डी) में निर्दिष्ट किए गए हैं, से कालन (डी) में निर्दिष्टित कालन राशि का भुगतान करना सूचना की जारी की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जादार उक्त राशि भुगतान में असमर्थ रहे हैं, एतद्वारा कर्जादार(ए) को विद्युत रूप से और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त निष्पादनी के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्तको प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कालन (डी) में दर्जित कम्पनी के पास कर्जा संश्लिप्त का कब्जा कायम (एफ) में निर्दिष्टित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

कर्जादार को विद्युत रूप से तथा सर्वसाधारण को कालन (डी) में दर्जित संश्लिप्त के संबंध में संश्लिप्त नहीं करने हुए सूचनाएं किया जाता है और संश्लिप्तों के संबंध में कोई भी संश्लिप्त मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायर्नैस कम्पनी लिमिटेड की कालन (डी) में निर्दिष्टित कालन राशि और उक्त पर कालन के प्रमाणों की मांग।

प्रतिक्रिया अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत कर्जादार बिना की अधिसूचना से पहले पूरे कब्जा राशि समी लागता, प्रमाणों तथा खर्च सहित प्रतिक्रिया प्रस्तावित आदिता छुड़ा सकते हैं।

क्र. सं.	अधिकृत का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या	मातृ सूचना का तिथि	कालन राशि	कम्पनी में ली गई सम्पत्ति का विवरण	कालन तिथि
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)
1.	ऋण खाता सं. XOHEEDL00002162113, XOHEEDL0000232989 एवं HE02EEDL000002038	08-07-2024	₹. 43,27,800/- 08-07-2024	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट परिमाण 250 वर्ग गज (लगभग) पर सम्पत्ति सं. 806, प्रथम तल, द्वितीय तल और तृतीय तल, सम्पत्ति सं. 805-806 परिमाण 750 वर्ग गज के टैरेस/घरत के अधिकार सहित, खसरा नंबर 315/2 मि.न. खेत नंबर 128, खाली नंबर 319, अर्जुन नगर, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-110003, जो निम्नानुसार परिचय है - पूरब : रोड, पश्चिम : रोड, उत्तर : की जलवाहि सिह की सम्पत्ति, दक्षिण : श्री रामदास लाम्बा की सम्पत्ति	23-12-2024
	1. धारक/रहित तिथि, 1743, उदय चंद मार्ग, कोटला मुबारकपुर, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 अन्य पता : बिल्डिंग नंबर 104, भू तल, प्लॉट नंबर 2 ए, सेक्टर-38 ए, कोटला-201301 अन्य पता : 806, 1/11/111 तल, अर्जुन नगर, बीएम पितामह मार्ग, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-110003				
	3. सार्वजनिक तिथि, 1743, उदय चंद मार्ग, कोटला मुबारकपुर, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 अन्य पता : 806, 1/11/111 तल, अर्जुन नगर, बीएम पितामह मार्ग, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-110003				
	4. चौथी वेबपेज तिथि 50, अर्जुन नगर, बीएम पितामह मार्ग, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-110003 अन्य पता : 806, 1/11/111 तल, अर्जुन नगर, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-110003 अन्य पता : 806, 1/11/111 तल, अर्जुन नगर, बीएम पितामह मार्ग, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-110003				
	5. आरंभिक गैरगैर प्रारंभ तिथि बिल्डिंग नंबर 104, भू तल, प्लॉट नंबर 2 ए, सेक्टर-38 ए, कोटला-201301 अन्य पता : एफ-1003 पार्कवेय प्रिस्टन, प्लॉट नंबर 002, सेक्टर-38ए, नोएडा-201302 अन्य पता : 806, 1/11/111 तल, अर्जुन नगर, बीएम पितामह मार्ग, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली-110003				

तिथि : 23-12-2024 स्थान : दिल्ली/एनसीआर प्राधिकृत अधिकारी : चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायर्नैस कम्पनी लिमिटेड

नैनीताल बैंक
 शाखा- एनएच-8, मुख्य चौराहे के पास, एल.बी.एस. कॉलेज रोड, कोटपूतली
 जिला- जयपुर, राजस्थान फोन नं. 01421-248251, 7455802335

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों हेतु)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता नैनीताल बैंक, एनएच-8, मुख्य चौराहे के पास, एल.बी.एस. कॉलेज रोड, कोटपूतली, जिला- जयपुर, राजस्थान शाखा का प्राधिकृत अधिकारी है तथा सिम्प्लिफाइड प्रोसेसिंग एण्ड फाइनल साइजिंग एण्ड रजिस्ट्रार (SARFAESI) एक्ट 2002 के सेक्शन 13(12) के नियम 3 के अधीन 60 दिनों की अवधि का दिमान्ड नोटिस निम्नलिखित ऋणियों तथा जमानतियों को जारी कर चुका है। यह कि ऋणी/जमानती माता का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ रहे अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) च तहत 8 एवं 9 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सम्पत्ति का जो है जहाँ है उसे है के आधार पर दिनांक 19.12.2024 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणियों/जमानतियों तथा सामान्य रूप से सम्पूर्ण जमानतियों का संचालन किया जाता है कि निम्नलिखित सम्पत्तियों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन-देन न करे। सम्बन्धित लेन-देन हेतु नैनीताल बैंक लि. के संबंधित ऋणियों/जमानतियों पर देय धनराशि तथा उक्त पर देय ब्याज एवं अन्य सम्बन्धित खर्च की सीमा तक बैंक प्रभार के अधीन होंगे। उभारकर्ताओं के प्लान सुविधा परिभाषितियों को मुफ्त कराने में उत्सुकता रखने के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा-13 की उल्लंघन (8) के प्रावधान को आकर्षित किया जाता है।

(1) ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

1. मेसर्स इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसके प्रोचार्ज्डर दिनेश कुमार गोयत (प्रोचार्ज्डर/सीए/कर्जदार), हुमान पुरानी रावड़ी (बी.बी. मुख्य बाजार कोटपूतली, कोटपूतली राजस्थान - 303108, 2. दिनेश कुमार गोयत पुत्र जावहीश प्रसाद गोयत (प्रोचार्ज्डर/सीए/कर्जदार), निवासी वाई नं. 07, मोहल्ला बुधादेवा, गढ़ कॉलोनी, कोटपूतली, राजस्थान - 303108, 3. अंशुवी देवी धनी जगदीश प्रसाद गोयत (जमानती), निवासी वाई नं. 07, यानी की टंकी, गढ़ कॉलोनी, कोटपूतली, राजस्थान 303108, 4. अशोक कुमार गोयत पुत्र जावहीश प्रसाद गोयत (जमानती), निवासी मकान नं. 8 बी, गढ़ कॉलोनी, मोहल्ला बुधादेवा, कोटपूतली, राजस्थान - 303108, 5. जावहीश प्रसाद गोयत पुत्र प्रभु रावाल (जमानती), निवासी वाई नं. 07, गढ़ कॉलोनी, कोटपूतली, राजस्थान - 303108

दिमान्ड नोटिस दिनांक 12.09.2024 को रु. 14,53,641.76 (रुपये चौदह लाख तिन्हा सय अठारह एच रु. ती इकतिसस एवं पंचो हिल्लर मात्र दिनांक 05.09.2024 तक) दिनांक 06.09.2024 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्च (घरायें वस्तु, यदि कोई हो) जारी किया जा चुका है।

दृष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : बैंक अचल सम्पत्ति (आवासीय भूमि) के सभी भाग व हिस्से जो कि मयुकर कॉलोनी (गढ़), कोटपूतली में स्थित है। क्षेत्रफल 197.22 वर्ग मी. सम्पत्ति उप निम्नलिखित कोटपूतली, राजस्थान के कार्यालय में पुरालक्ष सं. 1, खण्ड सं. 165, प्लॉट सं. 144, प्रमाण सं. 977 तथा अतिरिक्त पुरालक्ष सं. 1, खण्ड सं. 20.0, प्लॉट सं. 82 से 85, दिनांक 22.06.1996 की अंशुवी देवी एन.जी.एन.डी.ए. प्रसाद गोयत के नाम पर विधिवत पंजीकृत है। सीमाएं (रौल डीट, दिनांक 12.06.1996 के अनुसार) - पूरब में पंचायत समिति की भूमि, पश्चिम में 20 फीट चौड़ा सस्ता, उत्तर में मयुकर घट रामा का घर, दक्षिण में सूर्यकांती का घर।

(2) ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

1. राजेश कुमार यादव पुत्र रूप चंद (कर्जदार), निवासी वाई नं. 10, आदर्श नगर, सेनी राधा के पास, कोटपूतली, राजस्थान - 303108, 2. अमलेशा यादव पत्नी राजेश कुमार यादव (कर्जदार), निवासी वाई नं. 10, आदर्श नगर, सेनी राधा के पास, कोटपूतली, राजस्थान - 303108, 3. सुधीर कुमार पुत्र रूप सिंह (जमानती), निवासी तेजा बाबा बुन्ना के पास, मोहल्ला बुधादेवा, कोटपूतली राजस्थान - 303108, 4. रूप चंद आर्य पुत्र रामकिशोर (जमानती), निवासी 248, शरणा कॉलोनी, वाई नं. 6, कोटपूतली, राजस्थान - 303108

दिमान्ड नोटिस दिनांक 12.09.2024 को रु. 33,87,457.28 (रुपये तीसस लाख सत्तर सत्तर आठ एच रु. ती इकतिसस एवं पंचो अठ्ठाईस मात्र दिनांक 05.09.2024 तक) दिनांक 06.09.2024 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्च (घरायें वस्तु, यदि कोई हो) जारी किया जा चुका है।

दृष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : बैंक अचल सम्पत्ति (आवासीय भूमि) के सभी भाग व हिस्से जो कि मयुकर कॉलोनी (गढ़), कोटपूतली में स्थित है। क्षेत्रफल 250 वर्ग मी. सम्पत्ति उप निम्नलिखित कोटपूतली, राजस्थान के कार्यालय में पुरालक्ष सं. 1, खण्ड सं. 251, प्लॉट सं. 74, प्रमाण सं. 1845 तथा अतिरिक्त पुरालक्ष सं. 1, खण्ड सं. 383, प्लॉट सं. 147 से 153, दिनांक 11.09.2003 को राजेश कुमार यादव पुत्र रूप चंद यादव के नाम पर विधिवत पंजीकृत है। सीमाएं (रौल डीट दिनांक 11.09.2003 के अनुसार) - पूरब में 30 फीट रोड, पश्चिम में खाली क्षेत्र, उत्तर में केलारा सेनी का मकान, दक्षिण में मातृलाल कुमावत का मकान।

(3) ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

1. मेसर्स यादव प्रिन्टिंग प्रेस द्वारा इसके प्रोचार्ज्डर यतिन लुधक पुत्र राजेश लुधक (प्रोचार्ज्डर/सीए/कर्जदार), हुमान पुरानी रावड़ी, हुमान- नगर जयपुर चण्ड के पास, वाई नं. 9, कोटपूतली, राजस्थान- 303108, 2. बी.वतिर लुधक पुत्र राजेश लुधक (प्रोचार्ज्डर/सीए/कर्जदार), निवासी वाई नं. 6, रतिक विहार कॉलोनी, हंस मरिच रोड के पास, कोटपूतली, राजस्थान- 303108, 3. श्री राजेश कुमार लुधक पुत्र बाल किरान लुधक (जमानती), निवासी वाई नं. 6, रातिक विहार कॉलोनी, हंस मरिच रोड के पास, कोटपूतली, राजस्थान- 303108, 4. श्री इंदरजीत लुधक पुत्र बाल किरान लुधक (जमानती), निवासी वाई नं. 9, नगर पारिनाम चण्ड के पास, कोटपूतली, राजस्थान- 303108

दिमान्ड नोटिस दिनांक 12.09.2024 को रु. 22,03,012.15 (रुपये बीस लाख तीन हजार बाइए एवं पंचे पचाह मात्र दिनांक 05.09.2024 तक) दिनांक 06.09.2024 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्च (घरायें वस्तु, यदि कोई हो) जारी किया जा चुका है।

दृष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : बैंक अचल सम्पत्ति (प्राध्यायिक संरचना) के सभी भाग व हिस्से जो कि प्लॉट नं. 64, मौदवाली, बसाही, कोटपूतली, राजस्थान-303108 में स्थित है। क्षेत्रफल 250 वर्ग मी. सम्पत्ति उप निम्नलिखित कोटपूतली, राजस्थान के कार्यालय में पुरालक्ष सं. 1, खण्ड सं. 753, प्लॉट सं. 137, प्रमाण सं. 201803061104752 तथा अतिरिक्त पुरालक्ष सं. 1, खण्ड सं. 2392, प्लॉट सं. 315 से 324, दिनांक 30.08.2018 को राजेश कुमार लुधक पुत्र बाल किरान लुधक के नाम पर विधिवत पंजीकृत है। सीमाएं (गिफ्ट डीट दिनांक 30.08.2018 के अनुसार) - उत्तर में गली उसको बंद रोडवेज चर्करागी, दक्षिण में शंकर लाल लुधक का प्लॉट नं. 63, पूरब में अम रास्ता, पश्चिम में कालुलाल का मकान।

(4) ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

1. श्री मिर्दू राम आठ पुत्र राम सिंह आठ, (कर्जदार) द्वारा इसके कानूनी प्रतिनिधियों एवं कानूनी धारिता न/अ, श्रीमती सपना कौशर पत्नी मिर्दू राम आठ, निवासी ग्राम- खरकडी, वाई नं. 2, कमला नगर, डाकघर- सार्वजनिक, तहसील- कोटपूतली, कोटपूतली, राजस्थान- 303108, 1/8. कुशीर शिवांगी भावसिंह पुत्री मिर्दू राम आठ, आठ अपनी माता एवं प्राकृतिक अधिकारक श्रीमती सपना कौशर पत्नी मिर्दू राम आठ, निवासी ग्राम- खरकडी, वाई नं. 2, कमला नगर, डाकघर- सार्वजनिक, तहसील- कोटपूतली, कोटपूतली, राजस्थान - 303108, 1/8. भादराम राम प्रसाद भावसिंह पुत्र मिर्दू राम आठ, आठ अपनी माता एवं प्राकृतिक अधिकारक श्रीमती सपना कौशर पत्नी मिर्दू राम आठ, निवासी ग्राम- खरकडी, वाई नं. 2, कमला नगर, डाकघर- सार्वजनिक, तहसील- कोटपूतली, कोटपूतली, राजस्थान - 303108, 2. श्रीमती सपना कौशर पत्नी मिर्दू राम आठ (कर्जदार), निवासी ग्राम- खरकडी, वाई नं. 2, कमला नगर, डाकघर- सार्वजनिक, तहसील- कोटपूतली, कोटपूतली, राजस्थान- 303108, 3. श्री राजेश यादव पुत्र रूप चंद यादव (जमानती) निवासी वाई नं. 10, आदर्श नगर, सेनी राधा के पास, तहसील- कोटपूतली, कोटपूतली, राजस्थान- 303108

दिमान्ड नोटिस दिनांक 12.09.2024 को रु. 20,58,977.34 (रुपये बीस लाख अठ्ठास हजार नौ ती सहस्रत एवं पंचे बीसस मात्र दिनांक 05.09.2024 तक) दिनांक 06.09.2024 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्च (घरायें वस्तु, यदि कोई हो) जारी किया जा चुका है।

दृष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : बैंक अचल सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि खसरा सं. 840/0.99 इन्डोर, कलसा नगर, मोहल्ला बसाही, कोटपूतली में स्थित है। क्षेत्रफल 365 वर्ग मी. सम्पत्ति उप निम्नलिखित कोटपूतली, राजस्थान के कार्यालय में पुरालक्ष सं. 1, खण्ड सं. 2013002746 तथा अतिरिक्त पुरालक्ष सं. 1, खण्ड सं. 1566, प्लॉट सं. 65 से 70, दिनांक 28.03.2013 के अधिसूचना - चार में केलारा आर्य का मकान, दक्षिण में ग विधिवत पंजीकृत है। सीमाएं (रौल डीट दिनांक 28.03.2013 के अनुसार) - उत्तर में केलारा आर्य का मकान, दक्षिण में ग रास सिंह का मकान, पूरब में साधु राम का मकान, पश्चिम में 15 फीट चौड़ी सड़क/मार्ग।

स्थान : कोटपूतली, राजस्थान दिनांक : 24.12.2024 प्राधिकृत अधिकारी

पृष्ठ सं. 3 [देखें विवरण-15(1X)(ए)16(3)]

ऋण वस्तुली अधिनियम चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

1. रात, एसीओ 33-34-35, सेक्टर-17, चंडीगढ़ (3) एवं असे तल पर भी अतिरिक्त पता आवेगा।

ऋण वस्तुली अधिनियम (प्रतिक्रिया) निष्पादनी, 1993 के नियम 3 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उल्लंघन (4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन

प्राधिकृत अधिकारी : निष्पादनी, 2002 के नियम 8 (6) का प्रावधान देखें अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत समर्थन